

**बिहार सरकार**  
**बिहार तकनीकी सेवा आयोग**  
**19, हार्डिंग रोड, पटना।**

**आवश्यक सूचना**

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन सं०-08/2022, प्राचार्य (पार्श्विक नियुक्ति) के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक-08.06.2023 एवं दिनांक-09.06.2023 को आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के Website-www.btsc.bih.nic अथवा इस लिंक पर (<http://103.75.167.252/PRINCIPAL>) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है।


अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट/असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित दिनांक-30.08.2023 से 05.09.2023 को संध्या 06:00 बजे तक आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त Online Objection के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

**आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-**

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/संलग्न नहीं रहने के कारण अयोग्य (Disqualify) किया गया है।
2. सभी प्रमाण-पत्र यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, शिक्षण अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि 24.09.2022 तक का निर्गत होना अनिवार्य है।
3. उच्चतर योग्यता का प्रमाण-पत्र नहीं रहने के कारण उच्चतर योग्यता का अंक नहीं दिया गया है। उच्चतर योग्यता के अंक हेतु केवल अंक पत्र अथवा Course Completion Certificate को मान्य नहीं किया गया है।
4. संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राचार्य के पद पर कार्यरत नहीं रहने के कारण कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है। किसी अन्य पद पर कार्यरत कर्मियों को कार्यानुभव का अंक विज्ञापन की कंडिका-3(iii) के अनुसार देय नहीं है।
5. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-3(iv) के अनुसार सक्षम प्राधिकार (संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक देय नहीं है। कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिनांक-24.09.2022 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है। कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-25.08.2022 तक की जायेगी।
6. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र दिनांक-24.09.2022 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

7. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
  8. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पत्ति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
  9. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा संक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
  10. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने अथवा दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
  11. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
- नोट:- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।
2. संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।

  
प्रभारी सचिव,  
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।